<u>मुन्तकिली प्रकरण सं0 15/2019 (RCMS 2019/00027)</u> अनवानी 1. गुरजीत सिंह 2. गुरदीप सिह पुत्रगणं प्रेम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौड़ा तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> 1. जसपाल कौर पत्नी तेज सिंह पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी सैक्टर नं. 06, वार्ड नं 40, मकान नं. 97, 98 चूना फाटक के पास, हनुमानगढ जंक्शन 2. टेक सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह 3. जवन्ध सिह पुत्र जगदेव सिंह 4. रणजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 5. निर्मल सिंह 6. सुखदेव सिंह 7. अंग्रेज सिंह 8. गुरदीप सिंह 9. हरदीप सिंह पुत्रगण हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मोडा तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर 10. गुरचरण सिंह पुत्र मेला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर 11. सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीकरणपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>04.02.2019</u>

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जगमोहन आहुजा उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया। उनका कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में लम्बित वाद अनवानी जसपाल कौर बनाम टेक सिंह आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण उक्त प्रकरण किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिली किये जाने हेतु प्रस्तुत किया था और अब चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया है इसिलए यह प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी होगा। इसलिए वे अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इसलिए इसी आधार पर उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने प्रार्थी के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में लम्बित वाद अनवानी जसपाल कौर बनाम टेक सिंह आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना के कारण यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अब चूंकि प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है, इसलिए इसी आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज करना उचित होगा।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर